न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(बईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 25/2023 ई0रे0 | निर्णय दिनांकः– 15.06.2023

श्री मोहनलाल पिता सुखलाल जणवा नि.बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी

वादी

।।बनाम।।

1. श्री गेरीलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा निवासी बड़वल
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा निवासी बड़वल
3. श्री शंकरलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा निवासी बड़वल
4. श्री राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार साहब त.बड़ीसादड़ी

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 48,88 आर.टी.एक्ट

निर्णय

उपस्थितिः– 01.श्री अनिल सोनावा अधिवक्ता वादी
02.श्री राहुल मेहता अधिवक्ता प्रतिवादीगण

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48,88 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार सर्कल अमीरामा तहसील बड़ीसादड़ी की आराजी खसरा नं. 21 रकबा 1.5400 है. लगानी 29 रूपया 26 पैसा, आराजी नं. 21/356 रकबा 0.0100 है0 गे.मु.चाह, कुल किता 2 कुल रकबा 1.5500है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज चली आ रही है। एवं आराजी खाता संख्या 18 की आराजी खसरा नं. 20 रकबा 0.2500है0 लगानी 8.25 रूपया भूमि मे से वादी का 1/4 हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। व राजस्व ग्राम भुवानीपुरा पटवार सर्कल लक्ष्मीपुरा तहसील बड़ीसादड़ी में आराजी खसरा नं. 34 रकबा 0.0200है0 लगांनी 0.06 रूपया, आराजी नं. 35 रकबा 0.6100है0 लगानी 11.59 रूपया, आराजी नं. 68 रकबा 0.0100है0, आराजी नं. 69 रकबा 1.6500 है0 लगानी 31.35 रूपया, आराजी नं. 70 रकबा 0.0100है0 गे.मु.चाह, आराजी नं. 71 रकबा 0.1200है0 लगानी 2.28 रूपया, आराजी नं. 72 रकबा 0.0300है0 गै.मु.चाह, आराजी नं. 73 रकबा 0.2200है0 लगानी 4.18 रूपया, आराजी नं. 74 रकबा 0.6100है0 लगानी 11.59 रूपया भूमि कुल किता 9 कुल रकबा [illegible] भूमि की कुल लगानी 61.05 रूपया भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 1 गेरीलाल का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 2 लक्ष्मीलाल का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 3 शंकरलाल का 1/6 हक हिस्सा अर्थात् प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात में कलिया संयुक्त 1/2 हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वादी ने आराजी नं. 21 रकबा 1.5400 है0 आराजी नं. 21/356 रकबा 0.0100है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.5500 है0 भूमि (सम्पूर्ण) व आराजी नं. 20 रकबा 0.2500 है0 मे से वादी का दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि वादी ने प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.07.13 12:33:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

क्रमांक 1 से लगायत् 3 को देकर उसके बदले में प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत् 3 की खातेदारी की ग्राम भुवानीपुरा पटवार सर्कल लक्ष्मीपुरा तहसील बड़ीसादड़ी की आराजी खसरा नं. 34 रकबा 0.0200है0, आराजी नं. 35 रकबा 0.6100 है0, आराजी नं. 68 रकबा 0.0100है0, आराजी नं. 69 रकबा 1.6500है0, आराजी नं. 70 रकबा 0.0100है0 गै.मु.चाह, आराजी नं. 71 रकबा 0.1200है0, आराजी नं. 72 रकबा 0.0300है0 गै.मु.चाह, आराजी नं. 73 रकबा 0.2200है0, आराजी नं. 74 रकबा 0.6100है0 भूमि कुल किता 9 कुल रकबा 3.2800है0 भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक 1 गेरीलाल का 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 2 लक्ष्मीलाल का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी क्रमांक 3 शंकरलाल का 1/6 हक हिस्सा अर्थात् प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात् में कुलिया संयुक्त 1/2 हक हिस्सा की भूमि की भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित है उसको प्रतिवादीगण ने वादी को दी तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का वादी एवं प्रतिवादीगण ने आराजीयात् का आदान–प्रदान करते हुए अदला–बदली काफी वर्षो पूर्व कर रखी है तथा मौके पर भी इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। तथा वादी एवं प्रतिवादीगण इसी अनुसार शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण की आराजी वर्णित वाद पत्र की चरण संख्या 2 को अपनी आराजी में मिलाकर काफी रूपया पैसा खर्च करके आराजी की चकबदी कर उसमें कई वर्षो से लगातार गोबर का खाद डाला गया एवं खेत में मिट्टी भरवाई जाकर खेतों को उपजाउ बनाये गये होकर वादी निरन्तर विनिमय की गई आराजीयात् का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण भी वादी की आराजी जो की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है उस पर विनिमय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात् मे से प्रतिवादीगण के दर्ज 1/2 हक हिस्से की आराजी पर वादी का कब्जा है।वादी के खातेदारी की आराजी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज है। नियमानुसार 12 वर्षो से भी अधिक समय से वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आराजीयात् को अदला बदली कर अपनी–अपनी आराजीयात् में मिलाकर चकबदी करके उपयोग–उपभोग कर रहे है। इसलिए भी वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1)(4) के अनुसार अदला बदली की गई भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। यह कि वादी ने काफी रूपया लगाकर प्रतिवादीगण की आराजी को उपजाउ बनाया तथा उस पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिये वादी मौके कब्जे अनुसार आराजीयात् का विनिमय कराने का कानून अधिकारी है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि स्वीकार फरमाया जाकर डिग्री कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया। बरौज पेशी वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से संयुक्त राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादी की पहचान अधिवक्ता अनिल सोनावा के द्वारा की गई। प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता राहुल मेहता द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पक्षकारान द्वारा डिग्री किया जाने का निवेदन किया गया।

राजीनामा पर बहस उभयपक्षकारन की सुनी गई। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन किया।राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया [illegible] सही होना स्वीकार किया। इसलिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर निम्नांनुसार डिग्री कि[illegible] कि ग्राम भुवानीपुरा की आ.न. 34,35,68,69,70,71,72,73,74 कुल किता 09 रक[illegible] क्रमांक 01 गेहरीलाल का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी क्रमांक 02 का 1/6 [illegible] की भुमि वादी की खातेदारी में दर्ज करते हुये प्रतिवादीगण 01 से [illegible] रिकार्ड से विलोपित किया जावें।ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.07.13 12:33:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

मानपुरा प.ह. अमीरामा की आ.न. 21 रकबा 1.54 हैक्टर आ.न. 21/356 रकबा 0.01 हैक्टर भुमि प्रतिवादी न. 1 से 3 के नाम पर दर्ज करते हुये वादी का नाम विलोपित किया जावें। व इसी ग्राम की आ.न. 20 रकबा 0.2500 हैक्टर भुमि में से वादी का दर्ज 1/4 हिस्से की भुमि को प्रतिवादी न. 1 से 3 के नाम पर दर्ज करते हुये उक्त आराजीयात में वादी का नाम विलोपित किया जावें।वादी मोहनलाल ने ग्राम मानपुरा प.ह. अमीरामा की आ.न. 21 रकबा 1.54 हैक्टर आ.न. 21/356 कुल रकबा 1.55 हैक्टर भुमि पर स्टेट बैक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा बोहेड़ा का रहन दर्ज है उक्त रहन को वादी की खातेदारी घोषित भुमि पर ग्राम भुवानीपुरा की आ.न. 34,35,68,69,70,71,72,73,74 कुल किता 09 रकबा 3.28 हैक्टर की भुमि पर रहन दर्ज किया जावें। इसी प्रकार ग्राम भुवानीपुरा की आ.न. 34,35,68,69,70,71,72,73,74 कुल किता 09 रकबा 3.28 हैक्टर पर प्रतिवादी कमांक 01 ने चि.स.भुमि विकास बैक से ऋण ले रखा है। उक्त ऋण को ग्राम मानपुरा की आ.न. 21, 21/356 पर प्रतिवादी न. 01 के हिस्से पर यथावत रखा जावें। इसी आश्य का पर्चा डिग्री अलग से बनाया जावे।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (कार्य) ... चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.07.13 12:33:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 25/2023 वादपत्र धारा 48, 88 आर.टी.एक्ट.

श्री मोहनलाल पिता सुखलाल जणवा नि.बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी

वादी

।।बनाम।।

1. श्री गेरीलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा निवासी बड़वल
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा निवासी बड़वल
3. श्री शंकरलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा निवासी बड़वल
4. श्री राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार साहब त.बड़ीसादड़ी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील अनिल सोनावा तथा प्रतिवादी की ओर से वकील राहूल मेहता की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा भुवानीपुरा की आ.न. 34, 35, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 कुल किता 09 रकबा 3.28 हैक्टर में से प्रतिवादी कमांक 01 गेहरीलाल का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी कमांक 02 का 1/6 प्रतिवादी कमांक 03 का 1/6 हिस्सा की भुमि वादी की खातेदारी में दर्ज करते हुये प्रतिवादीगण 01 से 03 का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावें।ग्राम मानपुरा प.ह. अमीरामा की आ.न. 21 रकबा 1.54 हैक्टर आ.न. 21/356 रकबा 0.01 हैक्टर भुमि प्रतिवादी न. 1 से 3 के नाम पर दर्ज करते हुये वादी का नाम विलोपित किया जावें। व इसी ग्राम की आ.न. 20 रकबा 0.2500 हैक्टर भुमि में से वादी का दर्ज 1/4 हिस्से की भुमि को प्रतिवादी न. 1 से 3 के नाम पर दर्ज करते हुये उक्त आराजीयात में वादी का नाम विलोपित किया जावें।वादी मोहनलाल ने ग्राम मानपुरा प.ह. अमीरामा की आ.न. 21 रकबा 1.54 हैक्टर आ.न. 21/356 कुल रकबा 1.55 हैक्टर भुमि पर स्टेट बैक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर शाखा बोहेड़ा का रहन दर्ज है उक्त रहन को वादी की खातेदारी घोषित भुमि पर ग्राम भुवानीपुरा की आ.न. 34, 35, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 कुल किता 09 रकबा 3.28 हैक्टर की भुमि पर रहन दर्ज किया जावें। इसी प्रकार ग्राम भुवानीपुरा की आ.न. 34, 35, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 कुल किता 09 रकबा 3.28 हैक्टर पर प्रतिवादी कमांक 01 ने चि.स.भुमि विकास बैक से ऋण ले रखा है। उक्त ऋण को ग्राम मानपुरा की आ.न. 21, 21/356 पर प्रतिवादी न. 01 के हिस्से पर यथावत रखा जावें। इसी आश्य का पर्चा डिग्री अलग से बनाया जावे।

इस वाद के खर्चे....X.... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।

यह आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.07.13 12:33:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2023/70 दिनांक : 21-6-23

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी